। |कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।।

क्रमांक:-क-1(04)/सीडीपीएसएम/विविध व्यय/2025-26/158-67 दिनांक:- 17-09-2025

खुली बोली आमंत्रण सूचना

संस्था परिसर में संचालित जिम्नेजियम में व्यायाम हेतु सामान क्रय करने हेतु मोहरवन्द वोलियाँ आमन्त्रित की जाती हैं। बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान सरकार के www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट www.rpa.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती हैं तथा इच्छुक निविदादाता द्वारा दिनांक 17.09.2025 से 29.09.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक जाना करवा सकते हैं जिसके लिए निविदा फॉर्म

शुल्क तथा बोली प्रतिभती का डी.डी / बैंकर्स चैक संलग्न करना होगा। -

क्र.सं.	उपापन की विषयवस्तु का संक्षिप्त वर्णन	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्रों का मूल्य	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय
1.	संस्था परिसर में संचालित जिम्नेजियम में • COMMERCIAL TREADMILL, • BATTLE ROPE 30 FIT, • AIR ROWER ADVANCE, • ADDUCTOR & ABDUCTOR MACHINE & • SLAM BALL 4 KG (क्रय एवं प्रतिस्थापन हेत्)	अनुमानित लागत 5.90 लाख की 2 प्रतिशत * 11800/-डी.डी. के माध्यम से	500 ∕ −₹5.0 *	29.09.2025 दोपहर 03:30 बजे

संलग्न– बोली की शर्तें, वांछित तकनीकी योग्यता एवं वित्तीय प्रपत्र।

उप निदेशक एवं प्राचार्य राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

प्रतिलिपि:--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

- 1: सहायक निदेशक, प्रशासन/सीडीपीएसएम/आउटडोर, आरपीए जयपुर।
- 2. निजी सहायक, निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर।
- 3. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर.पी.ए. जयपुर।
- 4. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें एवं अखबार की दो प्रति इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 5. निजी सहायक, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. जयपुर।
- 6. लेखाधिकारी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
- 7. संचित निरीक्षक (प्रशासन / क्वार्टर मास्टर) राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
- 8. प्रोग्रामर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।
- 9. प्रभारी, सीडीपीएसएम, आर.पी.ए. जयपुर।
- 10. नोटिस बोर्ड, आर.पी.ए. जयपुर।

S

उप निदेशक एवं प्राचार्य राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।



। कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।। निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड)

ر خ	र्हार्य का नामः— संस्था परिसर में संचालित जिम्नेजियम में व्यायाम हेतु सामान क्रय करने हेतु बुली निविदा।
1	
. 2	. निवेदा संख्या दिनांक दिनांक . निवेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पते पर निविदा प्रस्तुत की जावें।
_	() ि ।
3	. (i) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता ई-मेल सहित:-
	ई-मेल आई.डी
	(ii) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम सोबार्टल नं
4.	निविदा शुल्क हेतु सीडीपीएसएम, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय रूपये
	500/- का बैंकर चैक/ड्राफ्ट/रसीद संख्या/ विनाक दिनांक संलग्न
	है।
5.	बोली प्रतिभूति हेतु सीडीपीएसएम, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय राशि
	रू. 11,800 / – का बैंकर चैक / ड्राफट संख्या दिनांकसंलग्न है।
6.	निविदादाता द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
7.	निविदा पूर्ण रूप से सील पैक करके प्रस्तुत करनी होगी स्टेपलर से सील की हुई मान्य नहीं
	होगी

8. निविदा खुलने की तिथि से दरों की विधि मान्यता अविध 90 दिवस होगी।

9.	ागापदादाता द्वारा		निम्नालाखत् प्रमाण-पत्र सलग्न किया जाना आवश्यक है:—
	क्र.सं.		

я/. (1.	14434	पृष्ठ संख्या
1.	PAN Card	
2. 😘	Address Proof प्रमाण पत्र	
3.	GST पंजीयन प्रमाण पत्रपार कि कलाकर एक एक एक निर्माण	
4.	3 वर्ष का टर्न ओवर प्रत्येक वर्ष का 20 लाख सी.ए. द्वारा प्रमाणित सी.ए. फर्म का (UIDN नम्बर अंकित हो)	
5.	100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर फर्म ब्लेक लिस्ट नही होने का प्रमाण पत्र	
6.	अमानत राशि / प्रतिभूति राशि	\$ 1,6 2 s
7.	निर्माता/अधिकृत डीलर/सप्लायर होने का सीए फर्म द्वारा सत्यापित प्रति	
8.	3 वर्ष की आयकर विवरण सीए फर्म द्वारा सत्यापित प्रति	
9.	जीएसटी जमा विवरणी की सीए फर्म द्वारा सत्यापित पति	Agric
10.	हस्ताक्षरित मूल निविदा फार्म हाना है अधार हाइय के उन्हें उन्हें हैं।	75
11.	वैध गुणवता प्रमाण पत्र (ISO /ISE) एवं अन्य समकक्ष	1 10 10
12.	किसी भी राजकीय/अर्द्ध सरकरी संस्थाओं को निविदत्त सामग्री की संतोषप्रद आपूर्ती किये जाने का 2 वर्ष का अनुभव/क्रयांदेश	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

10. निविदा के साथ उपरोक्तानुसार प्रासांगिक प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत किये जावे तथा उपरोक्त सारणी के निर्धारित कॉलम में पृष्ठ संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जावे। निविद्वादाता अंकित की गयी पृष्ठ संख्या पर सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होने की रिथित में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया हुआ माना जायेगा।

इससे यह गणसा जाता है जि. सीच, स्मृति, इणान, वार्षा, निवर्ण-सेवा और मावनाओं फेली

। है कि एक प्रति कि कि कि कि कि कि कि कि कि विवादाता के हस्ताक्षर मय सील

मस्तिक के अध्या अस्य केयों का यान्त्रिक कार्यों में बीजवान गयनगर के जायन

and the state of the first that the first first transfer and the state of the state of the state of the state of

मानिशिक विकास । वैसे स्थिति है। कि वार्य है है। के मारण और प्रशान गरीना

I per a la compara de la co

r Delegraphy Doubles and an inches for the problem of the first state of the same

· A transfer of the second state of the second second

g factor of the property

चित्रिष्य और व्यवहार के बीच एवंच की पहचार करमा।

भूषम् अध्ययम् सेन्युः स्टब्स्याः स्टब्स्यः स्टब्स्यः स्टब्स्यः स्टब्स्यः स्टब्स्यः स्टब्स्यः स्टब्स्यः स्टब्स् इतिहासम्बद्धाः स्टब्स्यम् सेन्युः स्टब्स्यः स्टब्स्यः स्टब्स्यः स्टब्स्यः स्टब्स्यः स्टब्स्यः स्टब्स्यः स्टब्स्

स्वृति (Memory) - पश्चित्रका के बोच-में क्रिया न्यूनि नेवर्तमा और प्रताराति ने स्किन्य नात हैं।

2.

Later (Altertion) - स्वान कोईस बन्ने भे शामिन न्यूर्त केरन मे

सामान्य नियम एवं शर्ते एवं योग्यता मापदंड:-

बोलीदाताओं को निम्नलिखित पूर्व तकनीकी योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा:-

- 1. बोलीदाता को पिछले 2 वर्षों के दौरान सरकारी, अर्ध-सरकारी संगठन/पीएसयु, अन्य संगठनों को समान वस्तुओं/फिटनेस उपकरणों की सफल आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। पिछले 2 वर्षों के दौरान सरकारी, अर्ध-सरकारी संगठन/पीएसयु, अन्य संगठनों को इन्डोर जिम उपकरणों के लिए एएमसी अनुंबधों का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।
- 2. संविधान या कानूनी स्थिति, पंजीकरण का स्थान और व्यवसाय के मुख्य स्थान को परिभाषित करने वाले मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, बोली लगाने वाले को प्रतिबद्ध करने के लिए बोली के हस्ताक्षरकर्त्ता की लिखित पावर आफ अटॉर्नी।
- 3. अनुबंध के लिए प्रस्तावित प्रमुख साइट प्रबंधन और तकनीकी कार्मिक की योग्यताएं और अनुभव, जहां कम से कम एक वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के पास व्यायाम, फिटनेस और कल्याण के क्षेत्र में वैध डिग्री होनी चाहिए।
- 4. बोलीदाता की वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट, जैसे पिछले 3 वर्षों के लाभ और हानि विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।
- 5. घोषणा कि बोलीदाता को किसी सरकार/अर्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा प्रतिबंधित/सूचीबद्ध/काली सूची में नहीं डाला गया है।
- 6. बोलीदाता को ब्रांड धारक, ब्रांड वितरक या मानक गुणवत्ता वाले आयातित उपकरण आपूर्ति करने वाले ब्रांड का अधिकृत डीलर होना आवश्यक है। यदि बोलीदाता अधिकृत डीलर है, तो डीलरशिप के वैध प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- 7. मूल्य में कोई वरीयता नहीं दी जाएगी।
- 8. पिछले तीन वर्षो के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार 20 लाख से कम नहीं होना चाहिए।
- 9. पैन, जीएसटी, एमएसएमएसई आदि की प्रमाणित प्रति।
- 10. मूल्यांकन तकनीकी विनिर्देशों के आधार पर किया जाएगा।
- 11. निविदाकर्त्ता किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा बोली प्रक्रिया को रद्द करने और किसी भी समय कोई भी कारण बताकर सभी बोलियों को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे बोलीदाताओं के प्रति कोई दायित्व उत्पन्न होगा।
- 12. बोलीदाता को जिम उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना करना आवश्यक है।
- 14. बोलीदाता को उक्त मशीन में शामिल विभिन्न सहायक उपकरणों के उपयोग को दर्शाने वाली सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
- 15. उद्धत दरों में सभी वैधानिक लेवी, कर, पैंकिंग, अग्रेषण, स्थापना और कमीशनिंग शुल्क शामिल होने चाहिए और 2 साल की वारंटी के साथ परिसर में डिलीवरी भी शामिल होनी चाहिए।

राजस्थान पुलिस अकादमी में परिसर में संचालित जिम्नेजियम में व्यायाम हेतु सामान क्रय करने हेतु आमंत्रित की जाने वाली बोलीदाता की योग्यताऐं एवं सामान्य शर्ते :-

नोट:- निविदा की समस्त शर्त पढ़ना अनिवार्य है:-

- 1. निविदा के दो भाग होंगे तकनीकी निविदा और वित्तीय निविदा। निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा से सम्बन्धित दस्तावेज रखें जायेंगे तथा वित्तीय बिड साथ में संलग्न नही की जावेगी। अगर तकनीकी बिड के साथ में वित्तीय बिड निविदादाता द्वारा संलग्न की गयी तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं तकनीकी बोली में सफल निविदादाता की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
- 2. बोलीदाता की बिड उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी दस्तावेजों में कमी पाये जाने पर बिड् निरस्त कर दी जावेंगी, बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत दरों के आधार पर न्यूनतम दरदाता का निर्धारण किया जावेंगा।
- 3. निविदा के साथ निर्धारित, निविदा शुल्क एवं निर्धारित धरोहर राशि के नकद/बैकर चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट को पुलिस अकादमी कार्यालय में भौतिक रूप से दिनांक 29.09.2025 को 1.00 बजे तक प्रस्तुत की जावेगी। भौतिक दस्तावेज राजस्थान पुलिस अकादमी में सहायक निदेशक (प्रशासन) के निजी सहायक कक्ष में स्थित निविदा रजिस्टर में इन्द्राज कर के पश्चात डालने होगें निर्धारित समय के पश्चात बॉक्स में डाला जाना अनुमत्त नही होगा तथा दिनांक 29.09.2025 को तकनीकी निविदा सायं 03.30 बजे खोली जावेगी।
- 4. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षों में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला / विवर्जित / अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। (राशि रूपये 100 / – के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत् स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)
- 5. (गत तीन वित्तीय वर्ष 2022–2023, 2023–24 व 2024–25 के अंकेक्षित अन्तिम लेखों यथा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी। तथा सनदी लेखाकार द्वारा टर्नओवर प्रमाण-पत्र (सी.ए. द्वारा जारी किये गये गए प्रमाण पत्र पर रजिस्ट्रेशन नम्बर (UDIN) अंकित हो) संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6. राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 0.50 प्रतिशत होगी एवं बोली प्रपत्र निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत पर उपलब्ध कराए जाऐंगे। उक्त के सम्बन्ध में बोलीदाता को सम्बन्धित वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में छूट देय नहीं होगी।

7. फर्म का जी.एस.टी में रिजस्टर्ड होना आवश्यक है। (GST रिजस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति

अपलोड करें।)

- 8. निविदा उन फर्मों को दी जावेगी, जो निविदा में वर्णित जिम्नेजियम से सम्बन्धित सामान सप्लाई करते हो/कराते हो/अनुभव रखते हो/जिम्नेजियम में सामान/मशीनरी स्पेशीफिकेशन के अनुसार सप्लाई की जावे।
- 9. बोलियाँ एकल पद्वति (द्वि—भाग) तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड से प्राप्त की जावेगी। तकनीकी बिड मे योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
- 10. बोलीदाताओं को बोली के साथ निर्धारित शुल्क एवं प्रतिभूति राशि के रूप में अनुसूचित वैंक द्वारा जारी डी.डी. / एफडीआर / बैंक गारण्टी / ई—बैंक गारण्टी (जो सीडीपीएसएम, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो) / नकद / ई—ग्रास चालान के माध्यम से उपापन संस्था में जमा करना होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 11. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं किया जा सकेगा। सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।
- 12. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के 15 दिवस के भीतर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 के अनुसार उपापन की विषय वस्तु की प्राक्कितित लागत की 5% (राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु आपूर्ति आदेश की 1%) की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी (जो सीडीपीएसएम, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो) से जमा कराते हुए नियमानुसार राशि के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र 500 रूपये पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा। उक्त के अभाव में बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं बोलीदाता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकेगी। समस्त संविदाजात दायित्व संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि संवेदक को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 13. बोलीद्वाता को इस बोली प्रपत्र के साथ संलग्न संलग्नक A, B एवं D अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर संलग्न करने होंगे।
- 14. सफल बोलीदाता एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
- 15. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों में ही प्रस्तुत किये जा सकेगें। अनुबंध अविध के दौरान सामान की दरें स्थिर रहेगी। इनमें किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी। दरों में कमी के सम्बन्ध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम—2013 का नियम 29(2—ज) प्रभावी होगा।
- 16. उपाप्त की जाने वाली सामग्री / सामान हेतु दरें संलग्न वित्तीय प्रस्ताव में ही अंकित की जानी है। दरें, अंको एवं शब्दों मे अंकित की जानी चाहिए। दरें प्रति इकाई रूपयें मे अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।
- 17. आदेशित सामान / सेवा की आपूर्ति कार्यादेश जारी तिथि से 15 दिवस में नहीं करने पर सामानुय वित्तीय एवं लेखा नियमों में वर्णित प्रावधानानुसार परिनिर्धारित नुकसानी संवेदक से वसूलनीय होगी। विलम्ब से आपूर्ति पर निम्न प्रकार शास्ति वसूली जावेगी—
 - (क) निर्धारित अवधि से 1/4 अवधि विलम्ब पर 2.5%
 - (ख) 1/4 से अधिक आधी अवधि तक विलम्ब पर 5%

- (ग) 4/2 अवधि से अधिक तीन चौथाई तक अवधि विलम्ब पर 7.5%
- (घ) 3/4 से अधिक 10%

यदि फर्म समय पर आपूर्ति प्रारम्भ नहीं करे, कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करावे तथा आपूर्ति नहीं करे तो धरोहर राशि / प्रतिभूति राशि को जब्त किया जावेगा।

- 18. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि सामग्री/सेवा आपूर्ति नहीं की जाती है, कम मात्रा में आपूर्ति की जाती है अथवा घटिया गुणवत्ता की सामग्री/सेवा की आपूर्ति की जाती है तो संवेदक की रिस्क एवं कॉस्ट पर खुले बाजार से क्रय/कार्य कर लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से कर ली जावेगी, जो परिनिर्धारित नुकसानी के अतिरिक्त होगी।
- 19. जिम उपकरणों / मशीनरी का स्थापना (Installtion) स्वीकृत बोलीदाता फर्म द्वारा किया जावेगा। जिम उपकरणों / मशीनरी की स्थापना हेतु कोई पृथक शुल्क देय नहीं होगा।
- 20. अपूर्ण असंतोषजनक / घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति करने अथवा आपूर्ति नहीं / विलम्ब से किए जाने पर अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित / काली सूची में डाला जा सकता है।
- 21. बोली खुलने के पश्चात् यदि सफल / न्यूनतम बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् निर्धारित समयाविध में कार्य प्रारम्भ / आपूर्ति नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति / कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता / संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
- 22. अनुबन्धकर्ता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/सामान को सही स्थिति मे अकादमी जिम्नेजियम तक पहुँचाने तथा स्थापित करने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। परिवहन मे हुये किसी प्रकार की क्षति की जिम्मेवारी अनुबन्धकर्ता की ही होगी। अकादमी द्वारा उक्त हेतु कोई भुगतान/हर्जाना देय नहीं होगा।
- 23. उपापुन सिमित, यदि चाहे तो उपाप्त की जाने वाली मशीनरी की जाँच कर सकती है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को कोई आपित नहीं होगी। सिमिति द्वारा उपलब्ध कराए गए स्पेशीफिकेशन के आधार पर सक्षम सिमिति द्वारा न्यूनतम बोलीदाता से इतर अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार की जा सकती हैं।
- 24. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 व नियम-2013 में वर्णित प्रकिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।
- 25. निविदा प्रारूप मे वर्णित मात्रा अनुमानात्मक है अकादमी मे कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत इनमें कमी अथवा नियमानुसार वृद्धि की जा सकती है, जिसके लिए स्वीकृत दरों से भुगतान किया जावेगा। न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नहीं होगी।

- 26. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावें, अकादमी स्वविवेक से एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है। समान/ सामग्री/कार्य के लिए एक से अधिक बोलीदाताओं से भी समान दरों पर अनुबन्ध किया जा सकता है।
- 27. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा में यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति बोलीदाता द्वारा दरों की औचित्यता के आधार पर न्यूनतम से अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर संकती है।
- 28. निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 30 दिवस का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा—खर्चा नहीं दिया जायेगा।
- 29. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
- 30. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी / स्पष्टीकरण (सीडीपीएसएम) अकादमी जयपुर एवं बोली प्रपत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार)
- 31. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम—2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
- 32. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम—2013 की धारा-38 के तहत् कोई भी बोलीदाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी उप महानिरीक्षक पुलिस एवं अतिरिक्त निदेशक आरपीए, जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक, आरपीए जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है (अनुलग्नक—'स')। प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः राशि रूपये 2500/— एवं राशि रूपये 10000/— निर्धारित है, जो अपीलकर्त्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। अपील के साथ जमा कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी।
- 33. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।
- 34. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम—2012 एवं नियम—2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये जाने वाले

दिशा—निर्देश / आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगें।

- 35. उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता 2013 के नियम 80(2) की पालना अवश्य रूप से करनी होगी।
- 36. निर्माता / अधिकृत डीलर / सप्लायर होने का सी.ए. फर्म द्वारा सत्यापित प्रति तथा वैध गुणवता प्रमाण पत्र (आई.एस.ओ. / आई.एस.ई. / अन्य समकक्ष) होना आवश्यक है।

to the contraction was there is easiers to the and the second

document the order content green bay bely not believed to the second

the extraction in the state of the extraction of the contraction of th

our observations in a diameter result of our conservant he has a

thereby are a least the last there is the second of the second to

Don't see et del vincin de pre negation de vincin de vincin de pre negation de vincin de vincin

The Text of the first the Text with the same of the distriction

उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए., जयपुर। Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so (b) as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to (c) impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- Not misuse any information shared between the procuring Entity and the (d) Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening (e)to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other 3 MG 6 Coprocuring entity.

Conflict of Interest :-

acciona iffin

THE STR SP 15

the pio we'r

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict ofinterest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that partys performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about

-8

or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

- e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

described agency of the residences of the

Date:

Signature of bidder

Place :

Name:

Designation:

Address:

8

Annexure B : Declaration by the	Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder	A CONTRACTOR NEW YORK AND A STATE OF THE STA

PUTCHETO DE SE SESTIMA

rang panggalan sakatan panggalan panggalan panggalang kalanggalan panggalanggalan panggalanggalan panggalangga

- I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- 2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
 - 3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
 - 4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
 - 5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date: Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process
The designation and address of the First Appellate Authority is
The designation and address of the Second Appellate Authority is

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by aBidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
 - (4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.
 - (5)Form of Appeal

TOPE PURCE VETS SVINE

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit

verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c)Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b)On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall
 - (i)hear all the parties to appeal present before him: and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c)After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.
- (d)The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:

000000

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 Appeal Noof
Appeal No
Before the(First/ Second Appellate Authority) 1. Particulars of appellant: (i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address: 2. Name and address of the respondent (s): (i) (ii) (iii) (iii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
 Particulars of appellant: (i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address: Name and address of the respondent (s): (i) (ii) (iii) Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative; Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
 Particulars of appellant: (i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address: Name and address of the respondent (s): (i) (ii) (iii) Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative; Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
 (i) Name of the appellant: (ii) Official address, if any: (iii) Residential address: 2. Name and address of the respondent (s): (i) (ii) (iii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
 (iii) Residential address: 2. Name and address of the respondent (s): (i) (ii) (iii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
 (iii) Residential address: 2. Name and address of the respondent (s): (i) (ii) (iii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
 Name and address of the respondent (s): (i) (iii) (iiii) Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
 (i) (iii) (iii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
 (ii) (iii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative : Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
 (iii) 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
 3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative : 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
of the representative : 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
[4] 사람들은 그리트 및 그리트 및 그리트 등을 보여 보면 되어 있는데 12를 보여 여름이 어떻게 하지만 하고 있어요? (1) 전략에 보고 있었다고 있는데 이번 그리트 등을 보고 있는데 모든데 모든데 나를 되었다.
o. Grounds of appear
(Supported by an affidavit)
7. Prayer :
Place
Date

Appellants Signature

8

Annexure D: additional conditions of contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

I. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:

II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals,

the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and

III. If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case he amount n figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be expected.

2. Correction of arithmetical errors

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or. Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in ne Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) in case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)

As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical aid vial nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the-second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

datement affect (Cognitive Longing)

परिशिष्ट ''द''(प्रथम) । ।कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।। बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैने / हमने जिस वस्तु / कार्य के लिए वोली दी है, उनका / उनके लिए मैं / हम बोनाफाईड विनिर्माता / निर्माता (वृहत / मध्यम / लघु) / थोक विकेता / थोक वितरक / सोल सेलिंग एण्ड मार्केटिंग एजेण्ट / प्राधिकृत नियमित डीलर / डीलर हूँ / हैं। मेरे / हमारे द्वारा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे / हमारे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी / करूंगा / करेंगे। और मैं / हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी / हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए ।

> बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर पूर्ण पता टेलीफोन नं.

परिशिष्ट "द"(द्वितीय) शपथ पत्र (100 रूपयें)

मै.यह है कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृति में लिप्त नहीं है और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अद्ध सरकारी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर पूर्ण पता टेलीफोन नं.

S

। ।कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।।

तकनिकी निविदा उपकरणों की सूची मय स्पेशीफिकेशन

क्र.सं.	आईटम	स्पेशीफिकेशन
	2 COMMERCIAL TREADMILL	 Motor, AC industrial commercial Motor 5.0 Hi with peak duty. Dimension:86" (L) ×38" (W) ×59" (H) Belt Size:62" (L) ×20" (W) Max user weight:150-180kg. Side strips made on steel with rubber grips. Textured Belt for Better running grip Broad handle bars for design and user safety Digital display should be there with Time, speed, Distance, calories, and contact pulse rate sensors Speed: 0-20km/hr Incline:0-20levels Treadmill weight:180 to 185kg Warranty -5-10 years for the frame, 3 years for parts and 01year labour
2	BATTLE ROPE 30 FIT	
3	1 AIR ROWER ADVANCE	 Heavy Duty Commercial Air Power Max User Weight: 160KGS Display Monitor Level:8 Level
4	1 ADDUCTOR & ABDUCTOR MACHINE	 Main Frame: Large Rounded Rectangular Pipe Cushion: Made of PU Shroud: ABS Shroud One with Stapes injection moulding Seat Adjustment: 5 Level Adjustment System Adjustable, range: 0-100mm Decoration trip: ABS Guide Reil: Made of alloy Steel Pulley: made of Engineering Aluminium Handlebar: PVC Weight Plate: Alloy Steel Guide Rod: Stainless Steel hollow pipe Steel Cable: Max load 1000kgs Passes 100,000 rounds endurance test WeaghtStacks: 100Kgs EN ISO 20957-1&EN957-2 approved
. 5	1 SLAM BALL 4 KG	

। कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।। (वित्तीय बिड)

1.	निवि	ादा प्रस्तुत करन	ने वाली फर्म का नाम व	डाक का पूरा	पता ई—	मेल सहितः	_
f	नाम नेविदा	में अंकित सम	मोबाईल स्त शर्तो की पालना करते हेतु सामान क्रय करने की	। नं हुए संस्था । दरें निम्नानुस	 रेथत संस् ार प्रस्तुत	था परिसर है:–	
	क्र. सं.	कार्य	सामान/सामग्री का नाम	दर प्रति नग	जीएसटी	कुल दर	वारन्टी / गारन्टी
	1.	में संचालित जिम्नेजियम में व्यायाम हेत	2 COMMERCIAL TREADMILL		大学(A)		
	2		1 BATTLE ROPE 30 FIT	1998 21			
	3		1 AIR ROWER ADVANCE		\$ 5. Au		
	4		1 ADDUCTOR & ABDUCTOR MACHINE				
	5		1 SLAM BALL 4 KG		4,1		

3. उक्त सामान स्थापित करने का चार्ज अलग से देय नही होगा।

4. निविदा सूचना संख्या....... दिनांक को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा जारी की गई है मै वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये भी हम सहमत है एवं उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तों को जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है। जिसके समस्त पृष्ठों पर उसमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है, का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील